रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) समय समय पर निर्धारित वेतनमान पर निर्धारित अर्हता प्राप्त रेलवे सेवा कर चुके सेवा निवृत्त रेल कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति उपरांत मानार्थ पास दिए जाते हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) से (ङ). सेवा निवृत्त रेल कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके परिवारों को मानार्थ पास दिये जाने पर विचार किया गया था। लेकिन, इसे निःशुल्क यात्रा सुविधाओं का अति उदारीकृत होने के कारण न्यायोचित नहीं ठहराया गया ।

बिहार में रेल लाइनें

4352. श्री शिबु सोरन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के संथाल परगना जिले में नयी रेल लाइनें बिछाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो किस स्थान से किस स्थान तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या चित्तरंजन लोकोफैक्ट्री के लिए जिन लोगों की भूमि अर्जित की गयी थी उनको पूरा मुआवजा दे दिया गया है और यदि हां, तो किस दर पर;

(घ) क्या उनको अर्जित भूमि के बदले उन्हें नौकरी देने का आश्वासन दिया गया है; और

(ङ) इस समय चित्तरंजन लोको फैक्ट्री में हरिजनों और आदिवासियों की संख्या कितनी है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). पूर्व रेलवे ने रांची रोड हज़ारीबाग टाउन–कोडरमा-गिरिडीह एक नयी बड़ी

लाइन के रेल सम्पर्क की व्यवस्था करने के लिए एक प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया था और उसकी रिपोर्ट अक्तूबर, 1980 में रेल मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी है । इस रिपोर्ट की जांच की जा रही है और इसके मूल्यांकन के बाद इस पर निर्णय लिया जायेगा ।

मन्दारहिल-देवघर-बासुकीनाथ (85 कि०मी०)

पूर्व रेलवे ने इस रेल संपर्क के लिये प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया है । क्षेत्र कार्य पूरा कर लिया गया है और सर्वेक्षण रिपोर्ट के शीघ्र ही रेल मंत्रालय में प्राप्त हो जाने की संभावना है । रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर इस मामले पर आगे जांच की जायेगी ।

(ग) जी हां, भूमि के मालिकों को भुगतान करने के लिये पश्चिम बंगाल और बिहार सरकारों को भूमि की लागत की पूरी क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया गया था ।

(घ) चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने के निर्माण के समय वहां के स्थानीय/विस्थापित व्यक्तियों को नियोजित करने के संबंध में प्राथमिकता देने की नीति थी ।

(ङ) आदिवासियों के अलग आंकड़े नहीं रखे जाते । बहरहाल, सफाईवालों में से 302 कर्मचारी अनुसूचित जाति के और 73 अनुसूचित जनजाति के हैं । अन्य कोटियों में अनुसूचित जनजाति के 960 कर्मचारी कार्यरत हैं ।

Cases referred by C.G.H.S. Dispensaries to Safdarjung Hospital

4353. SHRI R. L. P. VERMA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that in the CGHS Wing of the Safdarjung hospital, only patients having recommendations or acquaintance